UPGK040814682026

न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी- तृतीय, गोरखपुर।

स्टेट ---शैलेश कुमार सिंह।

जमानत प्रा0पत्र सं0- 3464/2026

मु०अ०सं०- 105/2026

धारा- 289,125(a),125(b) बी०एन०एस०।

थाना- गीडा, जनपद- गोरखपुर।

दिनांक- 11.05.2026

1. अभियुक्त शैलेश कुमार सिंह मु०अ०सं०- 105/2026, धारा- 289,125(a),125(b) बी०एन०एस०, थाना- गीडा, गोरखपुर में न्यायिक अभिरक्षा में हैं, की ओर से जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त प्रकरण में आधार जमानत इस प्रकार से लिया गया हैं कि वह निर्दोष हैं, तथा मुकदमा उपरोक्त में रंजिशन हैरान व परेशान करने की नियत से फंसाया गया हैं। वह बेकसूर हैं कोई अपराध नहीं किया हैं।

2. जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन अधिकारी को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. वादी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मारकर घायल करने का आरोप लगाया गया है। अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में गुण – दोष पर विचार किये बिना अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अभियुक्त द्वारा मु०- 20,000/- (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(आकांक्षा मिश्रा)
न्यायिक दण्डाधिकारी- तृतीय,
गोरखपुर।
J.O Code- UP 4613